

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 22/2024

दायर दिनांक : 09/05/2024

निर्णय दिनांक : 02/12/2024

उनवान

1. गंगाराम पुत्र नाथीया मेघवाल निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2. गोवर्धन पुत्र नाथीया मेघवाल निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
3. लालीबाई पत्नी चुनीया मेघवाल निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
4. मोती पुत्र नाथीया मेघवाल निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता भग्गा भील निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2. प्यारचंद पिता उदयलाल मेघवाल निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम चोरवडी की आ.सं. 578 रकबा 0.21 है., आ.सं. 579 रकबा 0.23 है., आ.सं. 579 रकबा 0.23 है., आ.सं. 580 रकबा 0.27 है. किता 3 रकबा 0.71 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरखा पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

